(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 20/2023 **जीसीएमएस नम्बर :– 2023/44**

1. हेमसिंह पुत्र हरिराम जाति खाती निवासी मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान

..............वादी

– बनाम –

1. पितराम
2. रतिराम
3. गुलाब
4. मुंशी
5. लालाराम

} पुत्रान हरिराम नवीरा शंकरलाल जाति खाती निवासी मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.

6. सुशीला पत्नि हरद्वारी
7. मुकेश पुत्र हरद्वारी नवीरा हरिराम जाति खाती निवासी मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
8. विनोद
9. नन्दू पुत्रान जयदयाल

} पुत्रान जयदयाल

10. माहीनी पत्नि जयदयाल
11. कोकली
12. माया

} पुत्रीयां जयदयाल जाति खाती निवासी मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.

13. राजेन्द्र प्रसाद
14. बिशन सिंह

} पुत्रान जयनारायण

15. बर्फी पत्नि जयनारायण
16. सरिता पुत्री जयनारायण जाति खाती निवासी मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
17. नारायण पुत्र शंकरलाल जाति खाती निवासी मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
18. लैण्ड होल्डर / भू–अभिलेख तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ति

अन्तर्गत धारा– 88 राज. काश्तकारी अधि. एंव धारा–136 भू. राजस्व अधि.

–निर्णय–   दिनांक–2/6/25

(1) वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. स्थित भूमि खसरा संख्या 138 रकबा 2.11 है. में वादी के पिता हरिराम का हिस्सा 1/4 है जो उन्हे विरास्त में उनके वादी के दादा शंकर से प्राप्त हुआ है। वादी के पिता हरिराम की मृत्यु के बाद उसके 1/4 हिस्सा के अब वादी एंव उसके भाई प्रतिवादी सं. 1 लगा. 6 व प्रति.सं. 6 व 7 का हकपूर्वाधिकारी हरद्वारी बरार हिस्सा के खातेदार बने है। लेकिन वादी के पिता हरिराम की मृत्यु के बाद जब विरास्तन खातेदारी दर्ज की गई तो राजस्व कर्मचारीयों ने भूल अथवा सहवन से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 प्रत्येक का 1/28 हिस्सा है तथा प्रति.सं. 6 व 7 का संयुक्त रूप से 1/28 हिस्सा है राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 प्रत्येक का 1/24 हिस्सा तथा प्रति.सं. 6 व 7 का संयुक्त रूप से 1/24 हिस्सा गलत दर्ज है जो दुरूस्त किया जाने योग्य है।
2. यह कि वादी मौके पर अपने 1/28 हिस्सा पर सहखातेदारान के साथ बाहमी बटवारा कर शांतिपूर्वक काबिज काश्त होने से कभी राजस्व रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं हुई जिस कारण वादी को उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने कि जानकारी भी वादी को नहीं हुई अब वादी ने अपने–अपने हिस्सा का विभाजन करवाने तथा राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारण राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तो गलत राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी वादी हो हुई है।
3. यह कि दावा के लिए आधार विवाद, वाद वर्णित भूमि खसरा सं. 138 रकबा 2.11 है. में वादी के पिता हरिराम के 1/4 हिस्सा में से वादी का 1/7 हिस्सा अर्थात 1/28 हिस्सा है जो वादी को उसके पिता हरिराम से विरास्त में प्राप्त हुई है सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण द्वारा अपने हिस्सा की भूमि पर सुधार कार्य नहीं करवा पाने से, सीमाएं कायम ... तथा सरकार की कल्याण कारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने ... लिए वादी अपने खातेदारी अधिकारो की रक्षा करने एंव राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त ... का अधीकारी है। अतः वाद पत्र अन्दर मियाद सेवामें पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

4. यह कि वादी नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से वादी द्वारा अपने हिस्सा की भूमि पर सुधार कार्य करने हेतू ऋण आदि लेने में, सीमांए कायम रखने में वादी को भारी परेशानी है जिससे वादी को अपूर्तनीय क्षतिकारीत हो रही है जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसलिए वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि प्रतिवादी सं. 1 लगा 17 सहखातेदार हैं, प्रतिवादी सं. 18 लैण्ड होल्डर हैं जो आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है,

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया किः–

(क). कि वाके ग्राम मुरादपुर स्थित भूमि हाल खसरा सं. 138 रकबा 2.11 है. में वादी के पिता हरिराम के 1/4 हिस्सा में से प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 व प्रति.सं. 6 व 7 के हकपूर्वाधिकारी हरद्वारी के बहिस्सा बराबर घोषित कर, वादी हेमसिंह का 1/28 हिस्सा, प्रति.सं.1 पितराम का 1/28 हिस्सा, प्रति.सं .2 रतिराम का 1/28 हिस्सा, प्रति. सं.3 गुलाब का 1/28 हिस्सा, प्रति. सं.4 मुंशी का 1/28 हिस्सा, प्रति. सं. 5 लालाराम का 1/28 हिस्सा तथा प्रति.सं. 6 सुशीला का 1/56 हिस्सा, प्रति.सं. 7 मुकेश कुमार का 1/56 हिस्सा, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश दिये जाने की कृपा करें।

(ख). कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से आयाचित रह गया हो एंव वादी जिसका वाजिब हकदार हों वादी को दिलवाऐ जाने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से श्री सुनिल कुमार सिहोड़िया एडवोकेट की ओर से वकालतनामा/इकबालिया जवाब दिनांक 12.03.2025 को पेश किया गया। शेष प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 18 के विरूद्व वकील वादी द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा है। इनकी तामील विधिक रूप से आवश्यक नही है। प्रतिवादी संख्याय 8 लगायत 18 को सिर्फ प्रर्फोमा पक्षकार बनाया गया है। बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों को ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2075–2078 के ग्राम मुरादपुर स्थित भूमि हाल खाता संख्या 58 के ख0 न0 138, में वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिये जाते है वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:57:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि सभी प्रतिवादीयों की अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही नवीन जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अत: पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादी द्वारा मिशल बंदोबस्त खतौनी या रजिस्टर, जमाबन्दी सम्वत 2075–2078, जमाबन्दी सम्वत 2048–2051, जमाबन्दी सम्वत 2052–2055, जमाबन्दी सम्वत 2056–2059, इकबालिया जवाब के अनुसार, मिलान क्षेत्रफल, की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादी का दावा स्वीकार किया जाता है।

—::आदेश::—

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अत: वाके ग्राम मुरादपुर स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 138 रकबा 2.11 हेक्टर में वादी के पिता हरिराम के 1/4 हिस्सा में से प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 व प्रति. सं. 6 व 7 के हकपूर्वाधिकारी हरद्वारी के बहिस्सा बराबर घोषित कर, वादी हेमसिंह का 1/28 हिस्सा, प्रति. सं.1 पितराम का 1/28 हिस्सा, प्रति.सं .2 रतिराम का 1/28 हिस्सा, प्रति. सं. 3 गुलाब का 1/28 हिस्सा, प्रति. सं. 4 मुंशी का 1/28 हिस्सा, प्रति. सं. 5 लालाराम का 1/28 हिस्सा तथा प्रति. सं. 6 सुशीला का 1/56 हिस्सा, प्रति. सं. 7 मुकेश कुमार का 1/56 हिस्सा, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 2.6.1.26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्रांकित मेरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 20/2023 **जीसीएमएस नम्बर :– 2023/44**

हेमसिंह बनाम पितराम आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती

–:निर्णय:–

वादी की ओर से **श्री प्रदीप कुमार सैन एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से श्री सुनिल कुमार सिहोड़िया एड0 की उपस्थिति शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मुरादपुर स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 138 रकबा 2.11 हैक्टर में वादी के पिता हरिराम के 1/4 हिस्सा में से प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 व प्रति. सं. 6 व 7 के हकपूर्वाधिकारी हरद्वारी के बहिस्सा बराबर घोषित कर, वादी हेमसिंह का 1/28 हिस्सा, प्रति. सं.1 पितराम का 1/28 हिस्सा, प्रति.सं .2 रतिराम का 1/28 हिस्सा, प्रति. सं. 3 गुलाब का 1/28 हिस्सा, प्रति. सं. 4 मुंशी का 1/28 हिस्सा, प्रति. सं. 5 लालाराम का 1/28 हिस्सा तथा प्रति. सं. 6 सुशीला का 1/56 हिस्सा, प्रति. सं. 7 मुकेश कुमार का 1/56 हिस्सा, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 2/6/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:53 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)